दिनांक	टी0ए0 मिस केस सं0 75/2019-20 आदेश	अभ्युक्ति
03.08.19	अभिलेख उपरथापित। आवेदक **रोहित सागर बोदरा**, पिता– **स्व0 सुरेश बोदरा**, ग्राम– **तमाड़बाँध**, थाना– **मुफस्सिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **तमाड़बाँध**, थाना– 125, खाता नं०– 20, प्लॉट नं०– 681, रक्वा– 0.10 एकड़ भूमि क्रेता **श्री अशोक सावैयाँ**, पिता– **सिदिऊ सावैयाँ**, ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफस्सिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 480,दिनांक–. 16.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चिकित्सा हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **श्री अशोक सावैयाँ**, पिता– **सिदिऊ सावैयाँ**, ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल**, के पास **3,76,000.00/–(तीन लाख छियाहतर हजार) रूपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **2.20** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **रोहित सागर बोदरा**, पिता– **स्व0 सुरेश बोदरा**, ग्राम– **तमाड़बाँध**, क्रेता **श्री अशोक सावैयाँ**, पिता– **सिदिऊ सावैयाँ**, ग्राम– **गितिलपी**, के पास 3,76,000.00/–(तीन लाख छियाहतर हजार) रूपये मे मौजा– **तमाड़बाँध, थाना**– 125, खाता नं०– 20, प्लॉट नं०– 681, रक्वा– 0.10 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित। 3/8/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 3/8/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner